फर्द अहकाम

भवानी सिंह बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्याः 311/2024

क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

).2024

तहसीलदार सांगानेर ने प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं उक्त प्रार्थना पत्र मे जवाब प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया बहस प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि ग्राम धौलाई के खसरा नम्बर 302/4 रकबा 0.10 हैक्टेयर की आकृति नक्शा लठठा से भिन्न बर वक्त सेग्रीकेशन कार्य के हो गई 302/4 के वर्तमान खसरा नम्बर 601/302, 611/602, 612/602 जो नामान्तकरण संख्या 457 दिनांक 22/02/2022 व नामान्तकरण संख्या 465 दिनांक 20.07.2024 से तरमीम होकर बने है को शुद्ध करने की कृपा करे।

तहसीलदार सांगानेर ने रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई के खसरा नम्बर 601/302, 611/602, 612/602 कुल किता 3 कुल रमकबा 01.10 हैक्टेयर की शुद्धि हेतु आवेदन प्राप्त हुआ। यह कि खसरा नम्बर 302/4 के नामान्तकरण संख्या 457 दिनांक 22.02.2024 से नये खसरा नम्बर 602/302 रकबा 0.0667 हैक्टेयर व 601/302 रकबा 0.0333 हैक्टेयर बने है। तथा खसरा नम्बर 602/302 रकबा 0.0667 हैक्टेयर के नामान्तकरण संख्या 965 दिनांक 20.07.2024 से नये खसरा नम्बर 611/602 रकबा 0.0282 हैक्टेयर व 612/602 रकबा 0.0385 हैक्टेयर बने है। उक्त नामान्तकरण से पूर्व खसरा नम्बर 302/4 रकबा 0.10 हैक्टेयर की आकृति सेग्रीगेशन के वक्त वर्तमान ऑनलाईन नक्शे लठ्ठा से भिन्न है। अतः शुद्धि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

बहस प्रार्थी एवं तहसीलदार सांगानेर की ओर से पेश जवाब का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई में स्थित खसरा नम्बर 302/4 रकबा 0.10 हैक्टेयर की आकृति नक्शे लठ्ठा के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:50:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)